



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 24 मई, 2016 ई0

ज्येष्ठ 03, 1938 शक सम्वत्

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

संख्या 318/रा0स0/2/2016 (1)

नई दिल्ली, 24 मई, 2016

अधिसूचना

सं. 318/रा. स. /2/2016 (1)- यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और तारीख 24 मई, 2016 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें:

सारणी

राज्य (1)	निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या (2)
आंध्र प्रदेश	4
तेलंगाना	2
छत्तीसगढ़	2
मध्य प्रदेश	3
तमिल नाडू	6
कर्नाटक	4
ओडिसा	3
महाराष्ट्र	6
पंजाब	2

(1)	(2)
राजस्थान	4
उत्तर प्रदेश	11
उत्तराखण्ड	1
बिहार	5
झारखण्ड	2
हरियाणा	2

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है-

- (क) नाम निर्देशित करने के अन्तिम तारीख - 31 मई, 2016 (मंगलवार)
 (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख - 01 जून, 2016 (बुधवार)
 (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 03 जून, 2016 (शुक्रवार)
 (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, - 11 जून, 2016 (शनिवार)
 (ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 13 जून, 2016 (सोमवार), और

(आ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,

के० अजय कुमार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 318/CS/2/2016 (1)
Dated New Delhi, May 24, 2016

NOTIFICATION

No. 318/CS/2/2016 (1) :- Whereas, the President of India has, by notification issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) and published in the Gazette of India on 24th May, 2016, been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of members specified against that State in column (2) of the said TABLE:

TABLE

STATE	NO. OF MEMBERS TO BE ELECTED
(1)	(2)
Andhra Pradesh	4
Telangana	2
Chhattisgarh	2
Madhya Pradesh	3
Tamil Nadu	6
Karnataka	4
Odisha	3
Maharashtra	6
Punjab	2
Rajasthan	4
Uttar Pradesh	11
Uttrakhand	1
Bihar	5
Jharkhand	2
Haryana	2
Total	57 seats

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 39 and section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) appoints, with respect to the said election; .

- (a) the 31st May, 2016 (Tuesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 1st June, 2016 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 3rd June, 2016 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 11th June, 2016 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 13th June, 2016 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 9:00 A.M. to 4:00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above mentioned States on the date specified above for the election.

By Order,

K. AJAYA KUMAR,
Senior Principal Secretary to the
Election Commission of India.

RADHA RATURI,
Principal Secretary and
Chief Election Officer.